(7)

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली /विनियागॉव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण। (कुल लम्बाई 35.600)।

जनपद पिथौरागढ़ में जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियागॉव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के पत्रांक संख्या NH-12037/28 /2018 /SARDP-NE/Zone-V, Dt. 12-09-2019 के अंतर्गत प्राप्त है, जिसमें कि किमी0 72.00 से 107.60 तक मोटर मार्ग के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति पत्रांक सं0 RW/NH- 37011/ 37 /2018-BP&SP (Part V) , Dt. 18-09-2020 द्वारा 35.60 किमी0 रू0 603.92 करोड़ स्वीकृत हुआ है।

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग पिथौरागढ़–धारचूला–लिपुलेख मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली) से प्रारम्भ होता है तथा ढुंगातोली, बलुवाकोट, छारछुम, जुम्मा, कालिका, रॉथी तथा स्यॉकुरी जोड़ते हुए पिथौरागढ़– तवाघाट के किमी0 107.60 में मिल जाता है। जिसकी आबादी 19210 है, जिसका चौड़ीकरण व सुधारीकरण का कार्य भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सड़क सीमा संगठन के निरीक्षण में किया जाना है। चूँकि उक्त मोटर मार्ग भारत–नेपाल बार्डर से होता हुआ चीन बॉर्डर तक जाता है, जिस कारण यह मोटर मार्ग सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है इस प्रकार बॉर्डर रोड होने के कारण मार्ग में देश की सीमा को सुरक्षित रखने हेतु सेना का आवागमन अत्यधिक होता है तथा सेना द्वारा बॉर्डर में अपनी मशीनरी एवं अन्य सामाग्री ले जाने हेतु एकमात्र यही मार्ग है। अतः उक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मोटर मार्ग के चौड़ीकरण व सुधारीकरण की नितान्त आवश्यकता है। साथ ही ग्राम विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह समरेखण सिविल भूमि (राज्य भूमि) आरक्षित भूमि, वन पंचायत तथा नाप भूमि से होकर गुजरता है। समरेखण के अन्दर कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है।

प्रस्तुत मार्ग वन अधिनियम 1980 से पूर्व से ही 09 मी0 चौ0 में निर्मित है। उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्रों में काश्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त भूमि श्रेणी में ले ली गई है।15.00 मीटर चौड़ाई के अनुसार 19.305 हे0 राज्य भूमि, 9.165 हे0 वन पंचायत भूमि तथा 05 मी0 चौ0 के अनुसार 8.31 हे0 नाप भूमि प्रभावित होती है। मलवा निस्तारण हेतु 1.22 हे0 सिविल भूमि ली गई है, इस प्रकार उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में कुल 29.69 हे0 सिविल सोयम भूमि प्रभावित होती है। जो न्यूनतम है एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

AE/AEE/Capt
offg Officer Commanding
67 RCC(GREF)

12/1/21
(B.S. ALMIYA)
वन क्षेत्राधिकारी
अस्कोट

(S. विजय मा...)
प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़ 16/1/21